UPKU010046522025

न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं० 2, कुशीनगर
पीठासीन अधिकारी– (इफ़राक अहमद), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06193

फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या–434/2025
राजाराम सिंह बनाम उ०प्र० सरकार आदि,
सम्बन्धित एस०टी०नं०– 134/2015,
मु०अप०सं०– 1109/2014,
धारा–147, 323, 504, 506, 452, 427 भा०दं०सं०, व
धारा–3 (1) X एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
थाना– कोतवाली हाटा,
जिला– कुशीनगर।

आदेश

1– पत्रावली निस्तारण हेतु पेश हुई।

2– आवेदक/प्रार्थी राजाराम सिंह की ओर से इस आशय का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी सम्बन्धित एस०टी०नं०– 134/2015, मु०अप०सं०– 1109/2014, धारा–147, 323, 504, 506, 452, 427 भा०दं०सं०, व धारा–3 (1) X एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना– कोतवाली हाटा, जिला– कुशीनगर माननीय न्यायालय के समक्ष चल रही है। प्रार्थी जमानत पर है। प्रार्थी के वजह से अब तक न्यायिक कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुये है। प्रार्थी घर का एकलौता कमाने वाला सदस्य है। प्रार्थी का पहले पासपोर्ट संख्या –M4078046 रिजनल पासपोर्ट लखनऊ द्वारा जारी किया गया था, घर की गरीबी एवं मजबूरी के कारण और नियम की जानकारी न होने के कारण प्रार्थी कमाने के लिये लेबर के रूप में आबुधाबी चला गया, परन्तु अधिवता के माध्यम से मुकदमें की पैरवी करता रहा। पासपोर्ट के अवधि समाप्त होने की जानकारी नहीं हो पायी, जानकारी होने पर प्रार्थी द्वारा भारतीय दूतावास आबुधाबी में आवेदन संख्या –24–2005446800 किया जिसमें वर्तमान मुकदमें के वजह से पुलिस वेरिफिकेशन में मुकदमें की जानकारी होने के कारण पासपोर्ट रिनवल नहीं हो पाया। जिसपर प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट संख्या –C No. 6394/2025 दाखिल किया है। प्रार्थी द्वारा पासपोर्ट नवीनीकरण की याचना की गयी है।

3– प्रार्थी के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रिट संख्या–C No–6394/2025 राजाराम सिंह बनाम भारत संघ व अन्य व अन्य की सत्यप्रतिलिपि दाखिल किया गया है।

4– सुना तथा मूल पत्रावली तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान अवलोकन किया।

5– मूल पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध मु०अप०सं०– 1109/2014, धारा–147, 323, 504, 506, 452, 427

Digitally signed by IFRAQUE AHMAD
Date: 2025.08.21 16:53:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

भा०दं०सं०, व धारा–3 (1) X एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना– कोतवाली हाटा, जिला– कुशीनगर में आरोप पत्र विचारण हेतु प्रेषित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से याचना किया गया है कि उसका पासपोर्ट नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी राजाराम सिंह का प्रार्थना पत्र निम्नलिखित शर्तो के अधीन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

1– प्रार्थी को पासपोर्ट नवीनीकरण कराने में न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

2– प्रार्थी न्यायालय की कार्यवाही में शत् प्रतिशत सहयोग रहेगा।

तद्नुसार प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

दिनांक 21.08.2025

(इफराक अहमद)
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।
ID No. 06193